झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग।

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या ....347.......... राँची, दिनांक......3/3......../2009

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 की उपधारा (4) में राज्य सरकार द्वारा, राज्य के विद्युत प्रणाली के सम्यक एवं समन्वित विकास के लिए **'एक समन्वय फोरम'** का गठन किये जाने का प्रावधान है।

2. पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसरण में, झारखण्ड सरकार, निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए; 'झारखण्ड राज्य विद्युत समन्वय फोरम' का एतद् द्वारा गठन करती है :—

(i) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष — अध्यक्ष (फोरम)।

(ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के सभी सदस्यगण।

(iii) झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव, ऊर्जा — संयोजक (फोरम)

(iv) प्रत्येक विद्युत उत्पादन कम्पनी, जिसने झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित किया है या जिसने सभी आवश्यक स्वीकृतियों के उपरान्त एवं आवश्यक वित्तीय संसाधनों के पुर्णतः अनुमोदनोपरान्त राज्य के अन्तर्गत विद्युत स्टेशन के स्थापना में कार्यरत हैं; का एक प्रतिनिधि।

(v) राज्य संचरण सेवा संस्थान (स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटी) का एक—एक प्रतिनिधि।

(vi) राज्य विद्युत—भार प्रेषण केन्द्र (स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर) का एक प्रतिनिधि।

(vii) राज्य के अन्तर्गत कार्यरत मान्य विज्ञप्तिधारी (डीम्ड लाईसेंसी) सहित प्रत्येक वितरण विज्ञप्तिधारी का एक—एक प्रतिनिधि।

(viii) राज्य के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक पारेषण विज्ञप्तिधारी (ट्रान्समिशन लाईसेंसी) का एक—एक प्रतिनिधि।

(ix) राज्य में कार्यरत प्रत्येक व्यापारिक विज्ञप्तिधारी (ट्रेडिंग लाईसेंसी) का एक—एक प्रतिनिधि।

(x) राज्य के अन्तर्गत गैर—पारम्परित ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन इकाईयों की स्थापना में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति या कम्पनी का एक—एक प्रतिनिधि।

बशर्ते कि पूर्वोक्त सभी प्रतिनिधि अपने संस्थनों या कम्पनियों के बोर्ड के निदेशक/सदस्य स्तर से नीचे के नहीं होंगे।

पुनःश्य बशर्ते कि फोरम के अध्यक्ष, फोरम के संयोजक के प्रस्ताव पर विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों को या राज्य में विद्युत संयंत्रों कि स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्ति या कम्पनियों के प्रतिनिधि को विशेष आमन्त्री के रूप में फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

3. फोरम का मुख्यालय झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक अयोग के कार्यालय में होगा तथा जि..के प्रभारी सचिव, ऊर्जा, झारखण्ड राज्य होंगे।

4. फोरम निम्नलिखित कार्यो का निष्पादन करेगी :–

(i) राज्य में, आर्थिक रूप से लाभप्रद एवं दक्षतापूर्ण विद्युत प्रणाली के समन्वित एवं सम्यक् विकास की आयोजना में आवश्यक सुझाव एवं सहयोग देना।

(ii) राज्य के सम्पूर्ण प्रणाली के समन्वित अनुरक्षण एवं परिचालन की आयोजना का समन्वय करना।

(iii) राज्य में विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण तथा आपूर्ति में कार्यरत सभी इकाईयों के परस्पर तकनीकी एवं व्यावसायिक समन्वय के लिए आवश्यक कार्यपद्धति के विकास में सुझाव देना एवं सहयोग करना।

(iv) राज्य के स्तर पर ऊर्जा के आदान–प्रदान के लिए, राज्य विद्युत–प्रभार प्रेषण केन्द्र द्वारा ऊर्जा लेखा बनाने में समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।

(v) राज्य के अन्तर्गत स्थिर एवं विश्वसनीय विद्युत–ग्रीड के सुरक्षापूर्ण प्रचालन के आयोजना में आवश्यक सुझाव एवं सहयोग प्रदान करना।

(vi) राज्य में गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत से विद्युत उत्पादन की क्षमता के त्वरित वृद्धि के लिए आवश्यक सुझाव एवं सहयोग देना।

(vii) झारखण्ड राज्य ग्रीड संहिता (झारखण्ड स्टेट ग्रीड कोड) को और उपयोगी एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से उसमें आवश्यक संशोधन के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग को परामर्श देना।

बशर्ते कि झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न इकाईयों के आपसी समन्वय में उत्पन्न गतिरोध या विवाद को यदि फोरम द्वारा सर्वानुमति से सुलझाया नहीं जा सकेगा तो इसे नियामक आयोग को आवश्यक निर्णय के लिए फ़ोरम द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा।

5. फोरम किसी कार्यकलाप विशेष के कुशलीकरण के लिए अपनी उपसमिति, जैसा भी आवश्यक समझा जाय, का गठन कर सकती है।

6. बैठक करने तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के लिए फोरम काम–काज के अपने नियम स्वयं बनाएगी।

7. फोरम एक तिमाही में कम–से–कम एक बैठक अवश्य करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

सचिव,
ऊर्जा विभाग।

राँची, दिनांक......................./2009

ज्ञापांक 18/नि०आ० 12–02 ऊ०/2009......................./

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राज्य के गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं 100 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह०/–
सचिव,
ऊर्जा विभाग।

राँची, दिनांक 3/3/2009

ज्ञापांक 18/नि०आ० 12–02 ऊ०/2009 348/

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ सरकार के सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, शक्ति भवन, नई दिल्ली/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, झारखण्ड राज्य, राँची/ सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी उपायुक्त/ अध्यक्ष, डी०भी०सी०, डी०भी०सी० टावर, कोलकाता/ अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, आर०ई०सी०, लोदी रोड, नई दिल्ली/सी०ई०ओ० एनटीपीसी, नई दिल्ली/ सचिव, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.2.09
सचिव,
ऊर्जा विभाग।